आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	बहस हेतु दिनांक 28/1/22 को पेश हो	
28/1/22	पत्रावली पेश हुई वकीलान उप. पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 7/2/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पत्रावली पेश हुई [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 7/2/2022 [illegible]	
7/2/2022	पत्रावली पेश हुई वकीलान उप. पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 9/2/2022 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
9.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित। बहस प्रा० पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी ने निवेदन किया कि IRC के प्रावधानानुसार निर्धारित रोड सीमा छोड़कर खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेखित सीमा तक काश्तकार द्वारा रहवास या पशु बाड़ा हेतु उपयोग में लिया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी वकील ने अपने जवाब प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि दिनांक 19.01.22 को लिखित बहस पेश की गई है कि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पशुओं के रहने का बाड़ा तथा चारे का भण्डार बनाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र दिनांक 10.2.22 को पेश हो।	IRC के प्रावधानोनुसार निर्धारित रोड सीमा छोड़कर खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 5 में उल्लेखित सीमा तक काश्तकार द्वारा रहवास या पशु बाड़ा हेतु उपयोग में लिया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। (हस्ताक्षर) 9/2/2022
10.2.22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी की सहमति को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 10/2/22	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

नामः पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः–247 / 2021
जी सी एम एस न. 2021 / 718

निर्णय दिनांकः–10.02.2022

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढागौडजी जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र गोपाल हिस्सा 31 / 42 निवासी इन्द्रपुरा।
2. श्री रामनिवास पुत्र भगवाना राम हिस्सा 11 / 42 निवासी उदयपुरवाटी।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा के वर्तमान भूमि ख0न0 714 रकबा 0.42 है0, किस्म बारानी 1 से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

विवादित भूमि में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है किन्तु विवादित भूमि में सलंग्न रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण करना पाया गया, जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं स्वीकृति से किया जा रहा हैं। उक्त विवादित भूमि कृषि कार्यो के लिये राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थी को दी गई थी। राज्य सरकार एवं अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदार ने भंग कर उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। इस प्रकार अप्रार्थी का कृत्य विरूद संविदा होने से अप्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई। अप्रार्थी ने जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार नहीं हैं। जवाब देहन्दा ने खातेदारी की प्रयुक्त संविदा को भंग नहीं किया है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि जवाब देहन्दागण ने अपनी भूमि में सुधार के लिये पशुओं की सुरक्षा के लिये कुछ दूरी पर दीवार बनाई है तथा भूमि उबड खबड होने पर उसमें मिट्टी का भराव करवाया है जो राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 177 के अन्तर्गत नहीं आता हैं। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 177 के अन्तर्गत भूमि का खातेदार अपनी भूमि के 1 / 50 हिस्से में अपने रहवासी मकान व पशुओं के चारे के भण्डार व पशुओं के लिए छाया की व्यवस्था अपनी भूमि में कर सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर जवाबदेहन्दागण को पशुओं के लिये चारे का भण्डार बनाने की अनुमति प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि IRC के प्रावधानोनुसार निर्धारित [illegible] खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेखित सीमा तक काश्तकार [illegible] रहवास या पशु बाडा हेतु उपयोग में

लिया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपति नहीं हैं। अप्रार्थीगण वकील ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि दिनांक 19.01.2022 को लिखित बहस पेश की गई है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पशुओं के रहने का बाड़ा तथा चारे का भण्डार बनाना चाहता है। इसके अलावा अन्य कोई निर्माण नहीं करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी की सहमति हैं कि IRC के प्रावधानोनुसार निर्धारित रोड सीमा छोड़कर खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेखित सीमा तक काश्तकार द्वारा रहवास या पशु बाडा हेतु उपयोग में लिया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपति नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारीज किया जाना तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी की सहमति को स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का खारीज किया जाता है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी की सहमति के अनुसार IRC के प्रावधानोनुसार निर्धारित रोड सीमा छोड़कर अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेखित सीमा तक अप्रार्थीगण द्वारा रहवास या पशु बाडा हेतु उपयोग में ले सकता हैं।

10/2/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10.02.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर में सुनाया गया।

10/2/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested